कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण

(स्थापना शाखा)

कार्यालय आदेश

विभागीय अधिसूचना संख्या 594 दिनांक 23.06.2021 एवं अधिसूचना संख्या 755 दिनांक 03.07.2021 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण के ज्ञापांक 256 दिनांक 30.07.2021 द्वारा निर्धारित काउन्सिलिंग स्थल पर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019–20 के पंचायत नियोजन इकाई का द्वितीय चक्र में दिनांक 13.08.2021 को काउन्सिलिंग आयोजित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 13.08.2021 को ग्राम पंचायत राज कैतुका नंदन, मकेर का काउन्सिलिंग राजेन्द्र विद्या मंदिर, मकेर में पंचायत सचिव, श्री शम्भूनाथ गिरि के द्वारा कराया गया, जबकि श्री गिरि का निलम्बन शिक्षक नियोजन 2019 के मेधा सूची में उनके द्वारा की गई गड़बड़ी के आरोप में ही जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के ज्ञापांक 1324 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा ही किया जा चुका था। उक्त के आलोक में निलंबित पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 13.08.2021 को कराया गया काउन्सिलिंग वैध नहीं माना जा सकता है, साथ ही उक्त तिथि को कराये गए काउन्सिलिंग के संदर्भ में शिकायत भी प्राप्त हुई है।

अतएव उक्त के आलोक में ग्राम पंचायत राज कैतुका नंदन का दिनांक 13.08.2021 को कराए गए काउन्सिलिंग को रद्द किया जाता है। अब ग्राम पंचायत राज कैतुका नंदन के काउन्सिलिंग की कार्रवाई तृतीय चक्र में विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुरूप करायी जाएगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।

ज्ञापांक 666 छपरा दिनांक 14.08.2021

प्रतिलिपिः– पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज कैतुका नंदन/ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मकेर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, मकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस पत्र को NIC के वेबपोर्टल पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक (प्रा0शि0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर समर्पित।

14/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।

Scanned with CamScanner